213

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा जिला रीवा

(म०प्र०)

श्री अजनी सोनी एड० द्वारा
पेश/ 7.3.14

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

R-1253-III/14

मुनीन्द्र कुमार पाण्डेय तनय श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय उम्र 60 वर्ष पेशा वकालत निवासी ग्राम सगरा तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० -----निगराकार

बनाम

123
7.3.14

1- श्रीमती तिजिया देवी पत्नी श्री रामानुज प्रसाद पाण्डेय उम्र 90 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम सगरा तह० हुजूर जिला रीवाम०प्र०,

2- सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय तनय श्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय उम्र 62 वर्ष पेशाकृषि निवासी ग्राम सगरा तह० हुजूर जिला रीवा म०प्र० हाल मुकाम 12/731 चौरसिया धर्मकाँटा के पीछे उर्रहट रीवा जिला रीवाम०प्र०,

3- नरेन्द्र कुमार पाण्डेय तनयश्री विश्वनाथ प्रसाद पाण्डेय उम्र 57 वर्ष निवासी आदर्श नगरबरा रीवा तह० हुजूर जिला रीवाम०प्र० ----गैर निगराकार गण

1181

निगरानी विरूद्ध पारित आदेश दिनांक-11/2/14 प्रकरण क्र0-117/अ-6/12-13 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय हुजूर जिला रीवा म०प्र०,

---

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई.,

---

मान्यवर,

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्य के अतिरिक्त मुख्यरूप से निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जारही है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन पुर्नस्थापन आदेश दिनांक 11/2/14 विधि प्रक्रिया एवं प्रकरण मे उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल होने से सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य है। क्रमशः2

XX-(a)-A-89
Rev. Hindi

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र

R1253-तीन/14 रीवा
मामला क्रमांक

(1)	(2)	(3)
29/3/16	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा नस्ती का परिशीलन किया। इसके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि अनु. अधि. द्वारा दि. 11-2-14 को पहले निगरानीकार के अधिवक्ता द्वारा उनके समक्ष प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण खारिज किये जाने की मांग के प्रकाश में, प्रकरण पहले अदम पैरवी में खारिज किया गया, और उसके 5 ही मिनट बाद प्रतिपक्ष (उनके समक्ष अपीलार्थी) के अधिवक्ता के उपस्थित हो जाने के कारण प्रकरण में कार्यवाही पुनः प्रारम्भ/निरन्तर कर ली गई। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि खारिज प्रकरण को बिना शपथपत्र पुनः नम्बर पर लिया जाना गलत था, जिससे उनके हितों का क्षरण हुआ। प्रकरण में विचारोपरान्त मेरा यह मानना है कि चूंकि एक ही दिनांक को 5 मिनट के अन्तराल में आदेशपत्रिका पत्र खारिजी का लेख किया जाकर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर ली गई है, और चूंकि इन 5 मिनट में खारिजी (आदेश पत्रिका पत्र) लिखे जाने से कोई अनुवर्ती कार्यवाही हो गई होना संभाव्य नहीं है,	

R 1253-III/14 टीका

(1)	(2)	(3)
	अतः न्यायहित में कार्यवाही पुनः प्रारम्भ / निरन्तर कर ली जाना उपयुक्त था। खारिजा लिखे जाने के 5 मिनट में ही चूंकि SDO के समक्ष के अपीलार्थी के अधिवक्ता वहाँ उपस्थित हो गए थे, अतः खंड-तम उनके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं रहा होना माना जा सकता है। वैसे भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के चलते न्याय के वृहद उद्देश्य का हनन उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अतः मैं यह निगरानी अग्राह्य करता हूँ और SDO द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण में कार्यवाही निरन्तर रखने के निर्णय को यथावत रखता हूँ। साथ ही इस न्यायालय के प्रतिपक्षकार (SDO के समक्ष अपीलार्थी) एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को यह हिदायत देता हूँ कि वे SDO के समक्ष इसके बाद नियत पेशियों पर सही समय पर अनिवार्यतः उपस्थित रहें, और यदि वे भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे तो SDO उनकी अनुपस्थिति या असांचि के कारण प्रकरण खारिज करने को लिए मुक्त होंगे। आदेश पारित। निगरानी अग्राह्य। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा.द.हो।	